कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक 23/25-90 वि (151
दिनांक चण्डीगढ़ 24-8-90

हरियाणा हाई स्कूल सैक्टर 10 पंचकूला को दिनांक 1-9-90 से नौवीं, दसवीं तक की स्थाई मान्यता निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

कि यह संस्था शिक्षा विभाग से किसी भी पद की स्वीकृति की मांग नहीं करेगी और अपने ही साधनों पर संस्था स्कूल चलायेगी।

आर एस वर्मा
संयुक्त निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा

पृष्ठांकन क्रमांक सम दिनांक - 27-8-90

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. सभी जिला शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य।
2 चेयरमैन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी।
3. अधीक्षक एस.एफ.सी. शाखा (स्थानीय)
4 अधीक्षक सैकण्डरी शिक्षा शाखा
5 मुख्य लेखा अधिकारी विद्यालय (स्थानीय)
6 आंकेक्षण अधिकारी (स्थानीय)
7 मैनेजर हरियाणा हाई स्कूल सैक्टर 10 पंचकूला।
8 वि-1 शाखा के लिपिक 3 तथा 6 को

27/8/90
सहायक निदेशक (वि0 शि0)
कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा

ATTESTED